रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 1973/फाल्गुन 7, 1894
No. 42] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 1973/PHALGUNA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February 1973

G.S.R. 71(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following Order further to amend the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1972, No. G.S.R. 87(E), dated the 19th February, 1972, namely:—

1. (1) This Order shall be called the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Amendment Order, 1973.

(2) It shall come into force on the 1st March, 1973.

2. In clause 2 of the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1972,—

(1) in sub-clause (1),—

(i) in para (a), after item (vi), the following items shall be inserted, namely:—

"(vii) Mustard oil

(viii) Rapeseed oil";

(ii) in para (b), after the letter and figures "A.17.03", the letter and figures "A.17.06" shall be inserted;

(2) in sub-clause (2), in para (a), after item (iii), the following item shall be inserted, namely:—

"(iv) Refined nigerseed oil".

[No. 9-VP-(10)/73.]

S. V. SAMPATH,
Vegetable Oil Products Controller for India.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 1973

सा० का० नि० 71 (अ).—बनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947 के खण्ड 4 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारत के बनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक बनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश 1972 सं० सा० का० नि० 87 (ई), तारीख 19 फरवरी, 1972 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करते है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम बनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) संशोधन आदेश, 1973 है ।

(2) यह 1 मार्च, 1973 को प्रवृत्त होगा ।

2. वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1972 के खण्ड 2 में,—(1) उपखण्ड (1) में,—

(i) पैरा (क) में, मद (6) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(vii) सरसों का तेल

(viii) रेपसीड का तेल"

(ii) पैरा (ख) में "ए० 17.03" अक्षर और अंकों के पश्चात् "ए० 17.06" अक्षर और अंक अन्तःस्थापित किये जायेंगे ;

(2) उपखण्ड (2) में, पैरा (क) में, मद (3) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"(iv) परिष्कृत नाइजरसीड का तेल ।"

[सं० 9—वी पी (10)/73]

एस० वी० सम्पथ,

भारत के बनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973